

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ०९-५७/२०२५- 330

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक- 20/03/2026

विषय: वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के संघारणार्थ कुल ₹५,०००/- (पाँच हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संघारणार्थ पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या-०३ दिनांक ०२.०४.२०२५, आवंटनादेश संख्या-३५ दिनांक २४.०४.२०२५, आवंटनादेश संख्या-३५ दिनांक २४.०४.२०२५ एवं आवंटनादेश संख्या-१६४ दिनांक २५.०८.२०२५ के द्वारा आवंटन दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-७६ दिनांक-२९.०१.२०२६ के द्वारा विपत्र कोड-२२२५०१००१०००१ मुख्य शीर्ष २२२५-निदेशन एवं प्रशासन के अधीन ०१०७-अन्य भत्ता ईकाई मद में कुल ₹५,०००/- (पाँच हजार रु०) की राशि प्रत्यर्पण किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाता है। लेखा शाखा के मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के लिए अन्य भत्ता ईकाई में उक्त प्रत्यर्पित राशि कुल ₹५,०००/- (पाँच हजार रु०) मात्र को पुनर्वित्तित किया जाता है।

२- आवंटित राशि का व्यय द्वितीय अनुपूरक के आगमन से वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में माँग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष- मुख्य शीर्ष-२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१ निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- ०००१.०१०७-अन्य भत्ता मांग संख्या-४४, विपत्र कोड संख्या ४४-२२२५०१००१०००१ के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

४- वित्त विभाग के पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७/०४/९८ एवं २३५/वि० दिनांक ०१.०४.२०२५ तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

६- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाये।

विश्वसभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक - ८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ०९-५७/२०२५

पटना,

दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ उप निदेशक (मु०)/ लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ सांख्यिकी कोषांग, आई०टी० मैनेजर/ प्रशाखा पदा० २डी० अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक